बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0–02 / एम0एम0(बा0)–01 / 18–2493 / एम0, पटना, दिनांक–07.6.18

प्रेषक,

संजय कुमार,
सहायक निदेशक (मु0)।

E-mail/
Whatsapp

सेवा में,

सभी संबंधित सहायक निदेशक,
सभी संबंधित खनिज विकास पदा0,
सभी संबंधित खान निरीक्षक।
औरंगाबाद / भागलपुर / मुंगेर / मोतिहारी / बांका / पटना / वैशाली / लखीसराय / किशनगंज / जमुई / प0चंपारण / रोहतास / भोजपुर / सारण / गया / अरवल / जहानाबाद / नवादा / नालंदा / सीवान

विषयः– E-Tendering-cum-Reverse Auction द्वारा नवबंदोबस्त बालूघाटों के प्रयोजनार्थ संबंधित बंदोबस्तधारियों द्वारा जमा किए गए बैंक गारंटी तथा खनन योजना की राशि के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक 1789 / एम0, दिनांक 10.04.2018 तथा पत्रांक 793 / एम0, दिनांक 29.02.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में निदेशानुसार कहना है कि आपके प्रभाराधीन जिलान्तर्गत E-Tendering-cum-Reverse Auction द्वारा नव बंदोबस्त समस्त बालूघाटों के प्रयोजनार्थ संबंधित बंदोबस्तधारियों द्वारा जमा किए गए बैंक गारंटी तथा अपेक्षित खनन योजना को राशि के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए 24 घंटा के अंदर मुख्यालय को email/Fax/Whatsapp के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। सुलभ प्रसंग हेतु नव बंदोबस्त बालूघाटों की जिलावार विवरणी पत्र के साथ संलग्न कर दी गई है।

चूकि मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, अतएव सूचना उपलब्ध नहीं कराने / विलंब के लिए आप स्वयं जिम्मेवार / जबावदेह रहेंगें।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

अनु0:– यथोक्त।

विश्वासभाज़न
7/6/18
सहायक निदेशक (मु0)

alokji/ 2- M. M Ba

बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांक–2 / एम0एम0(बा0) 17 / 17–. / एम0, पटना, दिनांक–...............................

प्रेषक,

E-mail/Fax
Web.

सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी संबंधित उप निदेशक,
सभी संबंधित सहायक निदेशक,
सभी संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी,
सभी संबंधित खान निरीक्षक।

विषयः– खनन योजना तैयार करने में हुए व्यय की राशि प्राप्त करने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–793 / एम0, दिनांक–09.02.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में निदेशानुसार कहना है कि आपके प्रभाराधीन जिलान्तर्गत ई–नीलामी द्वारा नवबंदोबस्त बालूघाटों के खनन योजना तैयार करने में हुए व्यय की राशि का भुगतान RQP को करने हेतु संबंधित बंदोबस्तधारियों से अपेक्षित राशि का Bank Draft प्राप्त कर मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश प्रसंगाधीन विभागीय पत्र द्वारा आपको पूर्व से ही संसूचित है तथा इस संबंध में अनेक मौखिक निदेश भी विभाग द्वारा समय–समय पर दिये जाने के उपरांत भी अधिकतर जिलों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है।

पुनः निदेशित किया जाता है कि अपने प्रभाराधीन जिलान्तर्गत ई–नीलामी द्वारा नवबंदोबस्त बालूघाटों के खनन योजना तैयार करने में हुए व्यय की अपेक्षित राशि का बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर मुख्यालय को अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

2. संबंधित उक्त बंदोबस्तधारियों को यह भी निदेशित किया जाए कि यदि राशि का भुगतान अविलंब नहीं किया जाता है तो, उनके EMD से उक्त राशि की कटौती की जाएगी।

विश्वासभाजन

ह0 / –

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–.......1789......../ एम0, पटना, दिनांक– 10.4.18

प्रतिलिपिः– I.T Manager, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/4/18

10/4/18
सरकार के अवर सचिव

D/shweta/ALOK JI/DRAFT